



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276063
CG-DL-E-08092026-276063

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 708]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

सा.का.नि.776(अ).— इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, प्रयागराज के ज्ञापन की धारा 23 और 39 के अनुसरण में इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, प्रयागराज की कार्यकारी समिति और वित्त समिति का गठन इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या समितियों के पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा किया जाता है।

इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों की धारा 23 के अंतर्गत 'कार्यकारी समिति' की संरचना

क्र. सं.	कार्यकारी समिति की संरचना	धारा
1.	श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	धारा 23(i) के अंतर्गत नामित अध्यक्ष
2.	डॉ. बुद्ध रश्मि मणि	धारा 23(ii) के अंतर्गत नामित सदस्य
3.	डॉ. सुस्मिता पांडे, पूर्व अध्यक्ष, एन.एम.ए.	
4.	सुश्री लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय	धारा 23(iii) के अंतर्गत पदेन सदस्य

5.	सुश्री वंदना जैन, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	धारा 23(iv) के अंतर्गत पदेन सदस्य
6.	निदेशक, लखनऊ राज्य संग्रहालय, लखनऊ	धारा 23(v) के अंतर्गत पदेन सदस्य
7.	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज	धारा 23(vi) के अंतर्गत सदस्य-सचिव

इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों की धारा 39 के अंतर्गत 'वित्त समिति' की संरचना

क्र. सं.	वित्त समिति की संरचना	धारा
1.	सुश्री वंदना जैन, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	धारा 39(i) के अंतर्गत अध्यक्ष
2.	निदेशक (वित्त), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	धारा 39 (ii) के अंतर्गत सदस्य
3.	डॉ. ईश्वर सरन विश्वकर्मा	धारा 39 (iii) के अंतर्गत सदस्य
4.	डॉ. अरुणचन्द्र एस. पाठक	
5.	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज	धारा 39 (iv) के अंतर्गत निदेशक (सदस्य-सचिव)

[फ़ा. सं. एम-1-19-2/2024-संग्रहालय-1]

लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 776(E).— In pursuance of the Sections 23 and 39 of the Memorandum of the Allahabad Museum Society, Prayagraj, the Executive Committee and the Finance Committee of the Allahabad Museum Society, Prayagraj are hereby constituted for a period of five years with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India or until the Committees are reconstituted, whichever is earlier.

COMPOSITION OF “EXECUTIVE COMMITTEE” UNDER SECTION 23 OF RULES AND REGULATION OF THE ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY

Sl. No.	Composition of the Executive Committee	Section
1.	Smt. Anandiben Patel, Hon'ble Governor, UP	Chairman nominated under Section 23(i)
2.	Dr. Buddha Rashmi Mani	Nominated member under Section 23(ii)
3.	Dr. Susmita Pande, Former Chairperson, NMA	
4.	Ms. Lily Pandeya, Joint Secretary (Museums), Ministry of Culture	Ex-officio member under Section 23(iii)
5.	Ms. Vandana Jain, Financial Advisor, Ministry of Culture	Ex-officio member under Section 23(iv)
6.	Director, Lucknow State Museum, Lucknow	Ex-officio member under Section 23(v)
7.	Director, Allahabad Museum, Prayagraj	Member-Secretary under Section 23(vi)

**COMPOSITION OF “FINANCE COMMITTEE” UNDER SECTION 39 OF RULES AND REGULATION
OF THE ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY**

Sl. No.	Composition of the Finance Committee	Section
1.	Ms. Vandana Jain, Financial Advisor of the Ministry of Culture, Government of India	Chairman, under Section 39 (i)
2.	Director (Finance), Government of India, Ministry of Culture	Member under Section 39 (ii)
3.	Dr. Ishwar Saran Vishwakarma	Member under Section 39 (iii)
4.	Dr. Arunchandra S. Pathak	
5.	Director, Allahabad Museum, Prayagraj	Director (Member-Secretary) under Section 39 (iv)

[F.No. M-I-19-2/2024-Museum-I]

LILY PANDEYA, Jt. Secy.